



PM/VI/2011-12/OG-GO/

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of DR to Bihar State Pensioners from 01.07.2011

Ref:- 1. Government of Bihar Ir. No 3f-3-01/2009-9634 dt 18.10.11
2. Accountant General (A&E) Bihar, SSA.No. Pen-IX/SSA 895
Dt. 31.10.2011

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No.- 895

Dated- 31/10/11

To,

The Accountant General (A&E)

Andhra Pradesh Hyderabad

Sub:- Grant of Dearness relief to the State Government Pensioners, @ 58% w.e.f. 01/7/2011
Bihar Govt. Resolution No. 3F-3-MT-01/2009-9634
Date - 18-10-2011

Sir,

I am to forward herewith Hindi/English versions of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No. 9634... Dated 18-10-2011 for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Encl : Copies of Bihar Govt. 3F-3-MT-01/2009-9634
Resolution No.- 9634
Dated : 18-10-2011

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar

Date-

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vindya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800 013.
3. Accounts Officer I.T.A./ Pension-1

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

विभाग

विभाग

राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01.07.2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-3532वि0 दिनांक-21.04.2011 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2011 के प्रभाव से 51 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2011 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय झापांक-42/15/2011-P&PW(G) दिनांक-05.10.2011 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2011 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के पेंशनधारियों को देय मंहगाई राहत की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक -01.07.2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाय ।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं0- 3556 दिनांक-09.05.1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष असेैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 206 के अन्वर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। साथ ही कोषागार/ उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

6. दिनांक-01.07.2011 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरुण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009-9634 वि0,

पटना, दिनांक :- 18.10.2011

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

Per 1

19/10

18/10/11

(अरुण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

18/10/11
25/10

2010/11/0508
25/10/11/010872